न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : मुक्तानन्द अग्रवाल, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –87/2018 (Bank Case)

इण्डिया बुल्स हाउसिंग फाईनेंश लिमिटेड रजिस्टर्ड पता, एम–62–63 फर्स्ट फ्लोर कनाट प्लेस नई दिल्ली–110001 जरिये अधिकृत प्रतिनिधि

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

1. राम चन्द्र पुष्पाकर प्रोपराईटर पुष्कर भोजनालय, नान्ता रोड विकास नगर, बूंदी रोड कोटा एवं राम चंद्र पुष्पाकर निवासी हाउस नम्बर 93, पंचवटी नगर, विलेज सकतपुरा तहसील लाडपुरा कुन्हाडी कोटा (राज.)

2. मुकुल पुष्पाकर निवासी हाउस नम्बर 93, पंचवटी नगर, विलेज सकतपुरा तहसील लाडपुरा, कुन्हाडी कोटा एवं 6 बिजासन माता मंदिर के पास, विकास नगर, नान्ता रोड कुन्हाडी, शम्भुपुरा थर्मल कॉलोनी कोटा
3. अकूल पुष्पाकर निवासी हाउस नम्बर 93, पंचवटी नगर, विलेज सकतपुरा तहसील लाडपुरा, कुन्हाडी कोटा व 6 बिजासन माता मंदिर के पास, विकास नगर, नान्ता रोड कुन्हाडी, शम्भूपुरा थर्मल कॉलोनी कोटा
4. कांती बाई निवासी , हाउस नम्बर 93, पंचवटी नगर, विलेज सकतपुरा, तहसील लाडपुरा, कुन्हाडी कोटा व 6 बिजासन माता मंदिर के पास, विकास नगर नान्ता रोड कुन्हाडी शम्भुपुरा थर्मल कॉलोनी कोटा
5. विपुल पुष्पाकर निवासी हाउस नम्बर 93, पंचवटी नगर, विलेज सकतपुरा तहसील लाडपुरा कुन्हाडी कोटा व 6 बिजासन माता मंदिर के पास, विकास नगर , नान्ता रोड कुन्हाडी शम्भुपुरा थर्मल कॉलोनी कोटा

– अप्रार्थीगण

जिला मजिस्ट्रेट कोटा

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित
श्री अतुल शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 06.08.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी इण्डिया बुल्स हाउसिंग फाईनेंश लिमिटेड रजिस्टर्ड पता, एम–62–63 फर्स्ट फ्लोर कनाट प्लेस नई दिल्ली–110001 अप्राथीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से ऋण अनुबंध संख्या HHEkot00322066 दिनांक 15.03.2017 को 11,36,629/– (अक्षरेः ग्यारह लाख छत्तीस हजार, छः सौ उन्तीस रूपये मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थी नं0 1 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति मकान नं0 93, पंचवटी नगर, विलेज सकतपुरा, तहसील लाडपुरा कुन्हाडी कोटा पर स्थित, जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.08.2013 से अप्रार्थी सं0 1 रामचन्द्र पुष्पाकर आत्मज स्व0 श्री घासीलाल जी जाति माली, के नाम है ।** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 28.01.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 12,09,450/–

जिला कलक्टर कोटा

Scanned by CamScanner

(अक्षरे रूपये बारह लाख, नौ हजार, चार सौ, पचास मात्र) बकाया रकम दिनांक 28.01.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 28.01.2019 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस अप्रार्थीगण को दिनांक 28.01.2019 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 28.01.2019 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति मकान नं0 93, पंचवटी नगर, विलेज सकतपुरा, तहसील लाडपुरा कुन्हाडी कोटा पर स्थित, जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.08.2013 से अंप्रार्थी सं0 1 रामचन्द्र पुष्पाकर आत्मज स्व0 श्री घासीलाल जी जाति माली के नांम है** । का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 06.08.2019 को सुनाया गया ।

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner